अवैध शराब व जुआ पर ताबड़तोड़ कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। **थाना धरमजयगढ़** स्टाफ द्वारा दिनांक 24.09.19 को पीपरमार चौक पर श्रीमति शशि राठिया पति दारासिंह राठिया उम्र 24 वर्ष निवासी पीपरमार गांव के चौक के पास अवैध रूप से हाथ भठ्ठी कच्ची महुआ शराब बिक्री कर रही है की सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया। आरोपिया के पास से 07 लिटर हाथ भठ्ठी कच्ची महुआ शराब जप्त किया गया है।

थाना धरमजयगढ़ स्टाफ द्वारा दिनांक 24.09.19 को बायसी कालोनी के आशाराम राठिया घर पर शराब रखकर बिक्री करने की सूचना पर स्टाफ द्वारा दबिश दिया गया। आरोपी आशाराम राठिया पिता स्व.दलबीर सिंह राठिया उम्र 53 वर्ष सा.बायसी थाना धरमजयगढ के घर आंगन से धरमजयगढ़ पुलिस द्वारा 12 लिटर हाथ भठ्ठी कच्ची महुआ शराब जप्त किया गया है

थाना घरघोड़ा स्टाफ द्वारा दिनांक 24.09.19 को माइनर एक्ट की कार्यवाही दौरान शाम करीब 17.00 बजे ग्राम अमलीडीह से छैडोरिया जाने मार्ग जंगल में 52 पत्ती तास से काटपत्ती नामक जुआ खेल रहे जुआडीयान 1. लक्ष्मी राठिया पिता रेवाराम राठिया उम्र 47 वर्ष साकिन छैडोरिया, 2. राजेन्द्र मालाकार पिता बंशीधारी मालाकार उम्र 28 वर्ष साकिन भालुमार, 3. महेश चौहान पिता डुगुराम चौहान उम्र 35 वर्ष साकिन इंदरा नगर तमनार, 4. लक्ष्मण दास महंत पिता एतवार दास महंत उम्र 45 वर्ष साकिन छैडोरिया को पकड़े जिनके फड एवं पास से जुमला रकम 2200 रूपये एवं 52 पत्ती तास एक प्लास्टिक बोरी जप्त किया गया है।

घरघोड़ा पुलिस द्वारा शाम करीब 18.00 बजे ग्राम अमलीडीह से छर्राटांगर जाने मार्ग जंगल में 52 पत्ती तास से काटपत्ती जुआ खेल रहे जुआडीयान 1. नंद कुमार यादव पिता धनीराम यादव उम्र 33 वर्ष साकिन अमलीडीह, 2. विनोद दास महंत पिता सुखीदास महंत उम्र 42 वर्ष साकिन छैडोरिया, 3. जगदीश चौहान पिता श्याम लाल चौहान उम्र 40 वर्ष साकिन भालुमार को पकड़े। आरोपियों के पास एवं फड से जुमला रकम 1600 रूपये एवं 52 पत्ती तास एक प्लास्टिक बोरी जप्त किया गया है। आरोपियों के विरूद्ध थाना घरघोड़ा में 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

इसके अतिरिक्त जिले के विभिन्न थानों में दिनांक 24.09.19 को 18 आबकारी के प्रकरणों में 40.350 लिटर शराब जप्त किया गया है तथा 05 सट्टा-पट्टी लिखने वालों से 4040 रूपये जप्त कर 4(क) जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

महत्वपूर्ण एवं खास

ट्रेलर वाहन को साईड देते हुये स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पुल के पास पल्टी

न्याय साक्षी/रायगढ़। घरघोड़ा राइनो को रोड एक्सीडेंट के इवेंट पर कोसमघाट रवाना किया गया। घटनास्थल कोसमघाट नाला के पास पहुंचे राइनो स्टाफ को जानकारी मिला कि पलामू(झारखंड) से रायगढ़ आ रहे स्कार्पियो का चालक ट्रेलर वाहन को साइड देते हुए स्कार्पियो से नियंत्रण खोकर स्कॉर्पियो को नाला पुल के नीचे पलटी कर दिया जिससे स्कॉर्पियो पर सवार राजू कुमार मेहता पिता प्रयाग मेहता उम्र 27 साल निवासी देवरीखुर्द एवं अनूप कुमार ठाकुर पिता उमेश ठाकुर उम्र 24 साल निवासी देवरीखुर्द जिला पलामू झारखंड को सामान्य आई थी जिसे राइनो के आरक्षक मुकेश पटनायक द्वारा राइनो में बिठाकर सीएचसी घरघोड़ा में भर्ती कराया गया है।

तमनार पुलिस ने बैटरी चोरी को पकड़ा

न्याय साक्षी/रायगढ़। तमनार पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर ग्राम बासनपाली के कृष्णा राठिया उम्र 24 साल को एक बैटरी के साथ गिरफ्तार किया गया है। बैटरी चोरी के संबंध में दिनांक 24.09.19 को जिंदल में ड्रायवरी का काम करने वाले सत्यनारायण बहिदार पिता स्व0 पूर्णचंद्र बहिदार उम्र 50 वर्ष सा- इंदारानगर तमनार द्वारा इसके घर के बाहर खड़ी बस क्र छ्त्त14त्त0153 में से 12 वोल्ट की बैटरी कीमती 12,000 रूपये को चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। उक्त चोरी की बैटरी आरोपी कृष्णा राठिया से तमनार पुलिस द्वारा जप्त कर आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है।

पुलिस महिला रक्षा टीम का जागरूकता कार्यक्रम

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस अधीक्षक महोदय संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन पर महिला विरूद्ध अपराध अनुसंधान इकाई (आईयुसीएडब्लु) रायगढ़ एवं पुलिस महिला रक्षा टीम द्वारा प्रतिदिन स्कूल, छात्रावासों तथा चिन्हित स्थानों पर बच्चों एवं महिलाओं पर घटित अपराधों में कमी लाये जाने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दिनांक 24.09.19 को एडिशनल एसपी (आईयुसीएडब्लु) डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद भैया के साथ प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र चन्द्रवंशी एवं महिला सेल रायगढ़ की टीम गुरूद्रोण हायर सेकेण्डरी स्कूल (हिन्दी मीडियम) पहुंचे। कार्यक्रम में डॉ. भैया द्वारा छात्राओं को पॉस्को एक्ट तथा विभिन्न महिला एवं सायबर अपराधों की जानकारी दिया गया। उन्होने फेसबुक, व्हाटसअप के जरिये हो रहे अपराधों की जानकारी देते हुये बचाव के उपाय बताये एवं सावधानी बरतने को बोले। महिला सेल प्रभारी टी.आई. संतोषी ग्रेस द्वारा छात्राओं को गुड टच-बैड टच के संबंध में जानकारी देकर हेल्प लाईन नम्बर मोबाइल नम्बर 1098, 1091, 112 एवम 100 के बारे में बताया गया है ।

कार्यक्रम में स्कूल के 260 छात्राएं, 20 शिक्षक एवं पुलिस महिला रक्षा टीम की महिला आरक्षक रोजमेरी, इंदुलता उपस्थित थे।

कलेक्टर यशवंत कुमार ने किया पोषण रथ को रवाना

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने कल पोषण रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। जिला प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर बच्चों के पोषण के लिए पोषण रथ रवाना किया गया। पोषण रथ में बच्चों के खान-पान से संबंधित जागरूकता संदेश दिए गए है। जिसमें यह बताया गया है कि बच्चे के उम्र बढने के साथ-साथ भोजन की मात्रा बढनी चाहिए। बच्चे के उम्र के साथ विकास के लिए घर में बने सभी भोजन पर्याप्त मात्रा में हर रोज देना चाहिए।

दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

न्याय साक्षी/रायगढ़। माननीय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) रायगढ़ की पीठासीन अधिकारी श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी के न्यायालय में आरक्षी केंद्र पुसौर के अपराध क्रमांक 83/ 2018 धारा 363 +366, 376 आईपीसी, 6 पास्को एक्ट 3(1) (डब्ल्यू) (आईआई) तथा धारा 3(2)(व्ही) एससी/एसटी एक्ट. के प्रकरण की सुनवाई उपरांत आज निर्णय पारित किया गया। खुली अदालत में माननीय न्यायाधीश द्वारा आरोपी को बालिका से दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए धारा 376 (2)(ढ़) में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं रू. 5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

जानकारी के अनुसार थाना पुसौर में दिनांक 20.05.18 को पीडिता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि बालिका दिनांक 19/05/18 को सुबह अपने सहेलियो के साथ तडोला बजार जा रही हूं कहकर निकली और घर नहीं आयी है , रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 83/18 धारा 363 आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 29.05.18 को बालिका दस्तयाबी ग्राम सिंघनपुर के पास ढाबा पुसौर पुलिस द्वारा आरोपी प्रकाश सराफ पिता रूसी सराफ उम्र 21 वर्ष निवासी झिलमिली, सरायपाली जिला महासमुंद के कब्जे से किया गया। विवेचना दरम्यान आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका को अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की बालिका जानते हुए उसे शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ भगाकर ले गया और उसकी बगैर सहमति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण में धारा 366, 376 आईपीसी, 6 पास्को एक्ट 3(1) (डब्ल्यू) (आईआई) तथा धारा 3(2) (व्ही) एससी/ एसटी एक्ट. जोड़ी जाकर चालान पेश किया गया। माननीय न्यायालय में दोनों पक्षों की दलीलें एवं उपलब्ध साक्ष्यों का विश्लेषण पश्चात उपरोक्त धारा में आरोपी को कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा दी गई है। प्रकरण की प्रारंभिक विवेचना तत्कालिन थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक सलीम तिग्गा एवं एट्रोसिटी प्रकरण होने पर विवेचना विरेन्द्र शर्मा तत्कालिन उप पुलिस अधीक्षक अजाक रायगढ़ द्वारा की गई है।

आवश्यकता है

CAREER SCHOOL

अंग्रेजी माध्यम (English Medium) में कक्षा 8 वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए

गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।

वेतन योग्यतानुसार

मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक

अभ्यार्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।

CAREER SCHOOL

श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कृष्ण सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वर्य श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480